भारतीय नाविक: जोखिम क्षेत्र, सलाह और सुरक्षा-तंत्र

अध्ययन/स्रोत-संदर्भ: पश्चिम एशिया संघर्ष में भारतीय नाविक हताहतों की रिपोर्ट: 15 अक्टूबर 2026
वास्तविक प्रकाशन तिथि: 20 अक्टूबर 2026
अंतरराष्ट्रीय संबंध और सुरक्षा: समुद्री सुरक्षा और श्रमिक कल्याण

समाचार-संदर्भ:

15 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी से पश्चिम एशिया संघर्ष में व्यापारिक जहाजों पर हमलों में 16 भारतीय नाविकों की मृत्यु हुई, 33 घायल हुए और तीन लापता हैं। 16 में से 15 मृतक विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर थे और यह किसी भी राष्ट्रीयता का सबसे बड़ा नुकसान बताया गया। ये उस रिपोर्ट के समय के आँकड़े हैं, बाद का स्वतंत्र रूप से सत्यापित सरकारी कुल नहीं।

भारत ने अपने नाविकों के संघर्ष क्षेत्र में जाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया है; नियामक का कहना है कि कई नाविक सामान्य से दो से तीन गुना मजदूरी या आजीविका की मजबूरी से वहाँ जाते हैं। अधिक भुगतान जोखिम समाप्त नहीं करता।



चित्र: लेख के मूल स्रोतों पर आधारित मौलिक अवधारणा-आरेख।

PCSMANTRA.COM

नाविक, ध्वज और जोखिम:

भारत फिलीपींस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाविक-आपूर्तिकर्ता है; कार्यबल 2013 के 1.03 लाख से बढ़कर 2025 में 3.23 लाख हुआ और मध्यपूर्व में भारतीय सबसे बड़ी नाविक राष्ट्रीयता हैं। सरकार के ट्रैक किए बेड़े में 10 में से 9 से अधिक भारतीय नाविक विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर हैं, इसीलिए 16 में से 15 मृतक विदेशी जहाजों पर थे।

विदेशी ध्वज वाला जहाज दूसरे देश में पंजीकृत होता है; जहाज की राष्ट्रीयता और नाविक की नागरिकता अलग बातें हैं। जोखिम क्षेत्र वह समुद्री इलाका है जहाँ संघर्ष या हमले से यात्रा अधिक असुरक्षित हो जाती है। रिपोर्ट में होरमुज जलडमरूमध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी उच्च-जोखिम मार्ग बताए गए हैं।

सलाह, सहमति और निगरानी:

समुद्री प्रशासन महानिदेशालय (DGMA) प्रतिबंध नहीं, सलाह जारी करता है। उसकी आधिकारिक सूची में परिपत्र 47 of 2026 (5 अगस्त 2026) खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा-सलाह के रूप में दर्ज है। परिपत्र के अनुसार होरमुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविक लगाने वाले जहाज मालिक, प्रबंधक और RPSL एजेंसियों को डीजी संचार केंद्र (DGComm Centre) को पारगमन की जानकारी देनी होगी और हर भारतीय नाविक की व्यक्तिगत सहमति लेनी होगी। साथ ही कप्तानों को बढ़ी सतर्कता, नौचालन चेतावनियों की निगरानी और ISPS कोड के तहत सुरक्षा उपाय लागू रखने कहे गए हैं। यह परिपत्र 15 जुलाई 2026 के परिपत्र 36 के स्थान पर जारी हुआ।

8 अक्टूबर तक DGMA फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, लाल सागर और अदन की खाड़ी में भारतीय हित के 38 जहाज ट्रैक कर रहा था: 30 भारतीय ध्वज वाले (750 भारतीय नाविक) और 8 विदेशी ध्वज वाले भारत-गंतव्य कार्गो वाले। नियंत्रण कक्ष सक्रिय होने के बाद से 4,292 से अधिक नाविक वापस लाए गए और मई में शुरू ई-नाविक डैशबोर्ड क्षेत्र में 1,970 से अधिक जहाजों पर 19,609 भारतीयों को ट्रैक करता है।

कल्याण और नीति:

रिपोर्ट के अनुसार युद्ध-जैसे या उच्च-जोखिम क्षेत्र में मृत्यु पर सीफेयरर्स वेलफेयर फंड सोसाइटी 10 लाख रुपये अनुग्रह राशि देती है; NUSI सदस्यों को 10 लाख और MUI सदस्यों को 12 लाख अतिरिक्त मिलते हैं और जहाज मालिक के बीमाकर्ता से चालक दल अनुबंध के तहत मुआवजा मिलता है। ये राशियाँ रिपोर्ट के अनुसार हैं; वास्तविक दावे अनुबंध और निधि के नियमों से तय होंगे।

रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति है कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून के तहत व्यापारिक जहाजों का अहिंसक पारगमन का अधिकार है, व्यापारिक नौवहन अधिनियम, 2025 में नाविक प्रमुख कर्मिक मान्यता पाते हैं, और भारत केवल संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध मानता है, किसी एक देश के एकतरफा प्रतिबंध नहीं। रिपोर्ट के अनुसार ही DGS आदेश 08 of 2026 में नाविक-त्याग के दो से अधिक दर्ज मामलों वाले 366 विदेशी ध्वज जहाजों को स्वीकृत एजेंसियों से भारतीय नाविक भर्ती करने से रोका गया है। अधिनियम और आदेश के मूल पाठ की पुष्टि अलग विषय है; यहाँ विवरण रिपोर्ट-आधारित है।

PCSMANTRA.COM

प्रारंभिक परीक्षा: अभ्यास प्रश्न

1. 15 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के आँकड़ों का सही विवरण क्या है?

(a) 10 मृतक, सभी भारतीय ध्वज वाले जहाजों पर

(b) 16 मृतक, 33 घायल, 3 लापता; 16 में से 15 विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर

(c) 16 मृतक, सभी होरमुज जलडमरूमध्य में

(d) 33 मृतक और 16 घायल

उत्तर: (b) - रिपोर्ट के समय के आँकड़े; अधिकांश मृतक विदेशी ध्वज जहाजों पर थे, क्योंकि अधिकांश भारतीय नाविक वहीं काम करते हैं।

2. परिपत्र 47 of 2026 के संबंध में कौन-सा कथन सही है?

(a) यह सभी भारतीय नाविकों के खाड़ी क्षेत्र जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है

(b) यह केवल भारतीय ध्वज वाले जहाजों पर लागू है

(c) होरमुज पारगमन से पहले डीजी संचार केंद्र को सूचना और हर भारतीय नाविक की व्यक्तिगत सहमति जरूरी करता है

(d) यह केवल जहाज के बीमा प्रमाणपत्र की शर्त रखता है

उत्तर: (c) - परिपत्र प्रतिबंध नहीं लगाता; डीजी संचार केंद्र को पारगमन-सूचना और प्रत्येक भारतीय नाविक की व्यक्तिगत सहमति की शर्त रखता है।

3. अधिकांश भारतीय नाविक हताहतों का संदर्भ सही किसमें है?

(a) भारत दुनिया का सबसे बड़ा नाविक-आपूर्तिकर्ता है

(b) भारत फिलीपींस के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाविक-आपूर्तिकर्ता है और 10 में से 9 से अधिक भारतीय नाविक विदेशी ध्वज जहाजों पर हैं

(c) भारतीय नाविक केवल भारतीय ध्वज वाले जहाजों पर काम करते हैं

(d) भारतीय नाविक संघर्ष क्षेत्रों में कार्य नहीं करते

उत्तर: (b) - दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता होना और विदेशी ध्वज पर अधिकांश कार्यरत होना मिलकर हताहतों का पैटर्न समझाते हैं।

स्रोत:

PCSMANTRA.COM

इंडियन एक्सप्रेस: पश्चिम एशिया संघर्ष में भारतीय नाविक, 15 अक्टूबर 2026
https://indianexpress.com/article/explained/indian-seafarers-killed-west-asia-conflict-hormuz-10922069/

DGMA: परिपत्र 47 of 2026, भारतीय नाविकों की सुरक्षा-सलाह, 5 अगस्त 2026
https://www.dgma.gov.in/download/1786649130_6a7e1a2a90499_dgma-circular-47of2026.pdf